**More Powers to Panchayats**

2462. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government propose to give more powers to Panchayats for health care, education and employment;

(b) if so, the salient features of such scheme;

(c) whether there are some States where elections to these bodies are not taking place regularly; and

(d) if so,whether such States would also be given these powers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) In terms of provisions under Article 243G of the Constitution, the State Governments are required to endow Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them function as institutions of self-government. Powers and authority for implementation of schemes for economic development and social justice are also required to be endowed upon the Panchayats in accordance with Article 243G(b) of the Constitution, including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule. The responsibility for the endowment as envisaged by the Constitutional provisions is that of the State Governments. The Central Ministries and Departments are being urged to nominate Panchayats as the implementing agencies in their programme guidelines.

(c) Yes, Sir. The States of Arunachal Pradesh and Bihar and the Union Territory of Pondicherry have not held Panchayat elections so far. Panchayat elections are due in Assam consequent on the expiry of the tenure of the Panchayats in October, 1997. The State of Karnataka has not initiated steps to hold Panchayat elections that are due in March, 1999. All other States to whom the Constitution Seventy-third Amendment is applicable have held elections when due.

(d) No, Sir. It is imperative that Panchayats be in position in order to receive funds, exercise powers devolved upon them and discharge responsibilities entrusted to them.

**उत्तर प्रदेश से कालीनों, सिलेसिलाये वस्त्रों इत्यादि का निर्यात**

2463. श्री मुनव्वर हसन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल कितने मूल्य के कालीनों, सिले-सिलाए वस्त्रों, हस्तशिल्प की वस्तुओं, बनारसी साड़ियों तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े राज्यों में निर्यात संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) कालीनों, तैयार कपड़ों, हस्तशिल्प वस्तुओं, बनारसी साड़ियों और अन्य सामानों के निर्यात हेतु राज्यवार निर्यात आंकड़े तैयार नहीं किये जाते। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य से कुल 7485 करोड़ रु० का निर्यात हुआ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश से होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनमें विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, विदेशों में प्रचार करना, डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन करना, निर्यात विपणन पैकेजिंग आदि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना और प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों (शरद एवं बसन्त) व अन्तर्राष्ट्रीय कालीन मेलों का आयोजन करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में मुरादाबाद में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु संकटापन्न अवसंरचना संतुलन योजना के अंतर्गत आठ करोड़ रुपये की मंजूरी, 4.99 करोड़ रुपये की लागत वाले धातु हस्तशिल्प और सेवा केन्द्र, मुरादाबाद के विस्तार की मंजूरी और 18.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही की स्थापना की मंजूरी आदि शामिल हैं।